न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– सुनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 245/2016
जीसीएमएस न. 2016/00112

वादीगण–

1. तुलछीदेवी पत्नि रामकिशन
   जाति– माली, निवासी–जायल, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जायल

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादीग की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार उपस्थित

– निर्णय –

दिनांक : 27/09/22

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीया ने निवेदन किया कि मौजा जायल के ख.न. 1424 रकबा 10 बिस्वा का नियमन वादी के पति रामाकिशन पुत्र नानूराम जाति माली निवासी जायल के नाम किया गया था। वादीया के पति के नाम नियमन होने बाद वादीया के पति ने नियमनसुदा भूमि पर 10 बिस्वा भूमि मे रहवासी मकान लिया था। नियमनसुदा भूमि पर वादीया का कब्जा 05.01.82 के बाद से लगातार चला आ रहा है। नियमन होने बाद स्व. रामाकिशन एवं वादीया ने खतौनी में इन्द्राज होने एवं नहीं होने बाबत कानूनी जानकारी नहीं होने से ध्यान नहीं दिया। कुछ माह पूर्व वादीया ने मकान बनाने ऋण लेना चाहा व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण बाबत फार्म भरना चाहा तो खातेदारी नहीं होने से तथा उक्त भूमि का पट्टा नहीं होने से वादीया को ज्ञान होने पर यह वाद पेश करना जरूरी होने से वाद पेश किया है।

यह बिनाय दावा तारीख 5.10.16 को तहसीलदार जायल [illegible] का ज्ञान होने पर बमुकाम जायल मे व अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार मे पैदा हुआ। आदेश क्रमांक भू0अ0 2013/2073 ता. 01.07.82 की पालना आज तक नहीं होने पर वाद पेश करना जरूरी होने से वादीया ने वाद पेश कर निवेदन किया कि मौजा जायल के ख.न. 1424 मे से नियमन माफिक 05.01.1982 बाद पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सं. 2 मे वर्णित मौजुद मकान व प्लोट की खातेदारी वादीनी के नाम घोषित फरमावे तथा आदेश की तहरीर तहसीलदार जायल को भिजवाई जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जायल का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ। तहसीलदार जायल ने जवाब पेश किया कि मौजा जायल के ख.न. 1424 गै.मू. औरण की सरकारी भूमि है। औरण की भूमि धार्मिक भावना से किसी देवता एवं गयों के चरने के लिऐ तथा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए छोडी जाने वाली भूमि हेाती है। यह भूमि सार्वजनिक भूमि होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आती है। जिसका किसी व्यक्ति विशेष को आवंटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता है। वादीया के पति के नाम नियमन हुआ है तो यह नियम विरूद्ध होने से शून्य की श्रेणी मे आता है। वादीया ने सरकारी भूमि हडपने के नियत से यह वाद पेश किया है। वादीया का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। वादीया ने 05.01.1982 से आदिनांक अवधि लगभग 34 वर्षो के लम्बे अंतराल के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने की जानकारी होने के उपरांत वाद पेश किया है जो मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। ख.न. 1424 गै.मू ओरण के मध्य ख.न. 1425 गै.मू.नाडी रकबा 21.09 बीघा राजस्व रेकर्ड व मौके पर स्थित है। एवं मौके पर ख.न. 1424 के स्थान नाडी बनी हुई है। जिसमे 1424 की भूमि का पानी आता हैं जो सार्वजनिक तथा पशुओं के पानी पिने के काम आता है ।ख.न. 1424 के मौके पर नाडी होने से पानी का भराव व बहाव क्षेत्र होने से उक्त भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित से प्रभावित भूमि है। जिसमें खातेदारी अधिकार दिया जाना वर्जित है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत उक्त प्रकार की भूमि किसी प्रकार का आवंटन एवं नियमन या खातेदारी दी गई है तो उन्हे शून्य माना गया है। अतः वादीया के वाद को निरस्त फरमाया जावे।

वादीया की ओर अधिवक्ता ने वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार जायल को मौका निरीक्षण नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर सामिल मिसल की गई।

वाद पत्र में वादीया की और से दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र वादीया का पेश हुआ साथ ही तहसीलदार जायल द्वारा हलका पटवारी को जारी पत्र दिनांक 01.07.2013 व 05.0. 82 की फोटोप्रति तथा कन्हैयालाल पुत्र घनश्याम सुनार निवासी जायल के नियमन प्रकरण मे पारित निर्णय की छायाप्रति व कन्हैयाल के नाम जारी संपरितर्वत आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की। तहसीलदार जायल की ओर से नकल जमाबन्दी ख.न. 1425 सम्वत 2069–70 तथा नकल जमाबन्दी ख.न. 1424 सम्वत 2069–72 तथा नक्साट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। वादीया के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत हुई। जिसके अनुसार वादीया के पति के नाम नियमन होकर सनद जारी की गई तथा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार द्वारा संबंधित हलका पटवारी को तहरीर जारी की गई। परन्तु उक्त सनद को रेकर्ड मे अमल दरामद नहीं किया गया। सनद जारी होने के आ[illegible] कभी भी किसी प्रकार की धारा 91 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं हुई है। [illegible] 142[illegible] वादीया के अलावा अन्य हजारो व्यक्तियों के मकान निर्मित है। सरकारी क[illegible] आरक्षित रखी गई है। वादीया के पति के नाम नियमन होने बा[illegible] 82 माफिक आवंटन के बाद तीन वर्ष की अवधि पश्चात आवंटी खातेदार बन गया था। अतः तुलछी[illegible] को ख.न. 1424 मे से रकबा 10 बिस्वा मौका रिपोर्ट मे दर्शाये गये स्थान खातेदार घोषित किया जावे। राजपैरोकार ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

उपस्थित आकर कथन किया मौके पर ख.न. 1424 में गै.मु.नाडी बनी हुई है तथा पानी का बहाव व भराव क्षेत्र होने से उक्त भूमि माननीय न्यायायल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दूल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय से प्रभावित भूमि होने से वादीया को खातेदारी दिया जाना विधि विरूद्ध होने से वादीया को वाद खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम मौजा जायल के ख.न. 1424 किस्म गै.मू. ओरण राजस्व रिकॉड में दर्ज है। वादीया की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 1 ता 2 के अनुसार वादीया के पति रामाकिशन के नाम के भूमि का नियमन होने के उपरांत हलका पटवारी का राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु जारी गई है तथा प्रदर्श 3 व 4 के अनुसार ख.न. 1424 गै.मू.औरण मे से राधेश्याम सुनार के नाम नियमन होकर राधेश्याम सुनार के द्वारा ग्रामिण क्षेत्रो मे कृषि भूमिं का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियमो के तहत प्रिमियम लेकर रूपान्तरण आदेश जारी किया गया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार रकबा 11 बिस्वा पर वादीया को दो मंजिला मकान व पानी का होज बना हुआ है जिसके उत्तर आम सड़क दक्षिण मे देवाराम माली का मकान पूर्व में हडमान सिहं कैलाश पुत्र पोकरराम का मकान एवं पश्चिम में पुसाराम का मकान एवं नोरा बना हुआ है।

राजपैरोकार की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी ख.न. 1424 जो राजस्व रिकॉर्ड में गै.मू.औरण दर्ज है तथा जिसमे मध्य में ख.न. 1425 गै.मू. नाडी बनी हुई है। तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर नाडी बनी हुई है तथा पानी का भराव क्षेत्र होने से अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय से प्रभावित होकर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। वादीया की और से प्रस्तुत साक्ष्य फोटोप्रतियों अनुसार रामाकिशन के नाम सनद जारी का राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने का वर्णन है परन्तु रामाकिशन के पक्ष मे जारी सनद एवं नियमन की पत्रावली मे पारित आदेश की विधिक दस्तावेज को अभाव तथा वादीया द्वारा बताये गये पडोस की भूमि का नियमन वादीया के पति के पक्ष मे जारी किया गया है साबित नही होता है। राजपैरोकर द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट अनुसार तथा ख. न. 1424 व 1425 की नकल खतौनी तथा नक्सा ट्रेस के अवलोकन यह साबित होता है कि ख.न. 1424 के मध्य मे ख.न. 1425 गै.मू.नाडी अवस्थित है जिसमे ख.न. 1424 के औरण के पायतन से पानी नाडी मे आता है। वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कब्जा काश्त रहता आ रहा है इस बाबत वादीया की ओर से कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया है।

आर.आर.टी पेज. 49, 11/12.07.2017 2017(2) आर.आर.टी 783 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण सं. 7499/2001 मंगलाल के का.मु. बनाम रामजीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 18.10.2016 "सम्वत् 2012 से अधिपत्य साबित करने हेतु दस्तावेज पेश नहीं किया–शिकमी उप कृषक का संबंध साबित नहीं किये जाने से प्रकरण खारिज किया गया।"

आर.आर.टी पेज. 11, 11/12.07.2011 2011(2) आर.आर.टी [illegible] राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अन्य प्रकरण सं. 2964/1997 अनुवान जगदीश बनाम श्री [illegible] प्रतिपादित सिंद्वात दिनांक 03/06/2011 में सिंद्वात प्रतिपादित किया है कि [illegible] काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है, न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते।"

आर.आर.टी पेज. 133, 11/12.09.2017 2017(2) आर.आर.टी 1139 [illegible]नीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण सं. 10723/2015 अनुवान मसुर बनाम राजस्थान स्टेट निर्णय दिनांक 27.01.2017 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रतिपादित सिंद्धात "code of civil procedure, 1908 order 39 rule 1&2 Temporary injunction- dismissed- Auction of plots- Pititioners are encroachers- Adverse possession- Land allocated to Municipal Council in the year 1989- land declared to be abadi land long back- pititioners alos lost the revenue suit- No locus standi to challenge the light, title & possession of the municipal council- No provision in Tenancy Act for conferment of khatedari right on the basis of adverse possession- Held petition dismissed."

उपरोक्त वर्णित माननीय न्यायालयों में प्रतिपादित सिंद्धात हस्तगत प्रकरण में भी पूर्णतया लागू होते है। वादी की और से राज्य सरकार के विरूद्ध प्रकरण पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी को नोटिस सर्व किया जाना था जो वादी की ओर से नहीं किया गया है। ख.न. 1424 मे मौके पर पानी का भराव व बहाव क्षेत्र होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णये से प्रभावित भूमि होने से प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया विधि विरूद्ध होने वादीया को वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित नहीं होता है।

– : : आदेश : : –

अतः वादीया वाद प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना विधि सम्मत नही होने तथा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रभावित होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 14/09/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
बइजलास–श्री सुनील कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 245/2016
जीसीएमएस न. 2016/00112

दीगण–

1. तुलछीदेवी पत्नि रामकिशन
   जाति– माली, निवासी–जायल, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

तिवादीगण –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जायल

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादीग की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार उपस्थित

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादीया मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – *वादीया वाद प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना विधि सम्मत नही होने, तथा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रभावित होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।*

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:21 IST
Reason: SelfAttested

... मुकद्दमे के मय व भारह –
तीज – मुबलिग – ... अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – को जारी की गई।
व मुहर अदालत के आज तारीख 14/09/2022

--2--

मुदाअलाह	रूपया	पैसे	मुदाअलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुसाय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दस्० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल